

न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.—787 / 2003  
 संस्थित दिनांक—20.10.1995  
 फाइलिंग क.234503000011995

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बैहर,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1—हगरूसिंह पिता रूपसिंह, उम्र—70 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—शोभितराम पिता सकरू, उम्र—71 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम बोदा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—09 / 11 / 2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420, 467, 471 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—09.06.1993 के पूर्व म.प्र. शासन की संपत्ति रुपये, कृपालेश्वरी, कान्ति, शान्ति, मानती को परिदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया और प्रमाणपत्र जो कि हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है को पूर्णतः रच देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया, प्रमाणपत्र को बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाए तथा उसके बारे में यह जानते हुए कि वह कूटरचित दस्तावेज हैं, जाति प्रमाणपत्र जिससे शासन के रुपये को प्राप्त कर परिदत्त करने का प्राधिकार तात्पर्यित था कूट रचना की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि कन्या शाला बोदा में अध्ययनरत चार छात्राओं कमशः कुमारी पालेश्वरी, कान्ती, शान्ति, मानती जो कि पिछड़ा वर्ग अहीर जाति की थी, उन्हें सरपंच हगरूसिंह टेकाम ने गोंड—गायकी जाति का बताकर फर्जी प्रमाणपत्र प्रदान किया तथा उक्त प्रमाणपत्र के आधार पर कन्या

शाला बोदा के प्रधान पाठक कुम्हरे ने दाखिल-खारिज रजिस्टर में कांट-छांट कर दी गई। इस प्रकार आरोपी बुधराम, बंशीराम, शोभितराम तथा हगरू ने मिलकर अहीर जाति की छात्राओं को गोंड गायकी जाति की छात्रा बताकर शासन की राशि प्राप्त की और उक्त राशि का दुरुपयोग किया। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय बालाघाट का पत्र क्रमांक-4873/शि.लि./95, बालाघाट दिनांक-05.04.1995 निरीक्षक पी.एस. प्रजापति को प्राप्त हुआ था, जिसमें कन्या शाला बोदा के प्रधान पाठक बी.आर. कुम्हरे तथा हगरूसिंह द्वारा गलत दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में विभागीय जांच में उनके द्वारा अपराध किया जाना पाया गया था। उपरोक्त पत्र अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना किये जाने हेतु कलेक्टर बालाघाट को लिखित सूचना प्रेषित किया था। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-49/95 अंतर्गत धारा-420, 467, 464, 471, 34 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामलों की विवेचना की गई एवं विवेचना के दौरान दस्तावेज जप्त कर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3- प्रकरण में आरोपी बुधराम व बंशीराम के फौत हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

4- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420, 467, 471 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम ने दिनांक-09.06.1993 के पूर्व म. प्र. शासन की संपत्ति रूपये, कृपालेश्वरी, कान्ति, शान्ति, मानती को परिदत्त करने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया और प्रमाणत्रपत्र जो कि हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये

जाने योग्य है को पूर्णतः रच देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर प्रवंचित किया ?

2. क्या आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रमाणपत्र को बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाए तथा उसके बारे में आप यह जानते थे कि वह कूटरचित दस्तावेज हैं ?

3. क्या आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर जाति प्रमाणपत्र जिससे शासन के रूपये को प्राप्त कर परिदत्त करने का प्राधिकार तात्पर्यित था कूट रचना की ?

### विचारणीय बिन्दु 1 का निष्कर्ष:-

6— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम द्वारा मध्यप्रदेश शासन की शासकीय राशि का दुरुपयोग स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से किया गया। अभियोजन कहानी का यदि सूक्ष्मता से विचार किया जावे तो कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर विवेचना की गई थी।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी ए.के. खान अ.सा.16 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-08.04.1995 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना कोतवाली बालाघाट के आरक्षक मोहनलाल के द्वारा शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/95, अंतर्गत धारा-420, 467, 464, 471/34 भा.द.वि. पर उसने असल सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 लिखकर संलग्न किया था, जिसका अपराध क्रमांक-49/95 अंतर्गत धारा-420, 467, 464, 474/34 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध की विवेचना हेतु डायरी प्राप्त होने के उपरांत दिनांक-07.06.1995 को आरोपी बसीराम से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के अनुसार एक जन्मतिथि पंजी कन्या प्राथमिक शाला बोदा जो आर्टिकल ए-1 है एवं एक दाखिल खारिज रजिस्टर नवीन कन्या प्राथमिक शाला बोदा आर्टिकल ए-2 है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-2 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल ए-1 पेज क्रमांक-32-33 में कोंतिबाई पिता बुधराम, 38-39 में शांतिबाई पिता बुधराम, पेज क्रमांक-52-53 में पालेश्वरीबाई पिता शोभितराम एवं मानतीबाई पिता बुधराम के नाम दर्ज है, जिसके कॉलम नम्बर 4 में अहीर जाति को

काटकर गोंड-गायकी लिखा गया है, लेख है। आर्टिकल ए-2 दाखिल खारिज नम्बर 69 में कुमारी कांतिबाई, क्रमांक-82 में शांतिबाई, क्रमांक-109 पालेश्वरी एवं क्रमांक-111 में मानतीबाई का नाम लेख किया गया है एवं उक्त नामों के सामने जाति या धर्म के कॉलम में गोंड-गायकी लिखा गया है। दिनांक-11.09.1995 को कांतिबाई से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार यात्रा भत्ता बिल फार्म जो आर्टिकल ए-3 है, जिसमें आरोपी हगरूसिंह के हस्ताक्षर हैं तथा सील लगी हुई है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-3 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-24.09.1995 को आरोपी बसीराम से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार आर्टिकल ए-4 का आदेश पंजी/निरीक्षण पंजी प्राथमिक कन्या शाला बोदा लेख है, जिस पर आरोपी बसीराम की स्वाभाविक हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर एवं प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला बोदा में आदिम जाति कल्याण विभाग बैहर की सील लगी है, जिसके पेज क्रमांक-5 से 20 में हस्तलिपि लेख है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.10.1995 को बसीराम से जप्ती पत्रक प्रदर्शपी-1 के अनुसार कुमारी कांतिबाई, कुमारी पालेश्वरीबाई, कुमारी मानतीबाई ग्राम पंचायत बोदा के सरपंच हगरूसिंह टेकाम के द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र जो आर्टिकल ए-5 से लगायत ए-6 है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-16.10.1995 को साक्षी कांतिबाई, शेषराम, नाजुक एवं दिनांक-13.04.1995 को पालेश्वरी, शांतिबाई, मानतीबाई, कांतिबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-20.04.1995 को आरोपी शोभितराम, बुधराम, हगरूसिंह दिनांक-07.06.1995 को आरोपी बसीराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी बसीराम से नमूना हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर 6 प्रति में साक्षियों के समक्ष लेख करवाया था, जो प्रदर्श पी-9 से लेकर प्रदर्श पी-14 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी हगरूसिंह से हस्तलिपि एवं नमूना हस्ताक्षर साक्षियों के समक्ष 6-6 प्रति में लेख कराया था, जो प्रदर्श पी-15 से लगायत प्रदर्श पी-26 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेजों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हस्तलिपि विशेषज्ञ जहांगीराबाद भोपाल प्रदर्श पी-27 के माध्यम से भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में पेश की गई है, जो प्रदर्श पी-28 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि छात्रों के जाति संबंधि प्रमाणपत्र आरोपी से जप्त किये गए थे, जो



तत्कालीन समय में प्राथमिक शाला बोदा के प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि छात्रों के प्रमाणपत्र उसने तहसीलदार कार्यालय से जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्कूल से जप्त रजिस्टर में छात्रों की जाति अहीर को काटकर गोंड गायकी किया गया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव के विषय में साक्षी ने जानकारी नहीं होना कहा है कि जाति घोषित करने का अधिकार आदिम जाति कल्याण विभाग को होता है। साक्षी ने यह भी कहा है कि अंतिम प्रतिवेदन में छात्रों की जाति के संबंध में उसने निष्कर्ष लेख किया है और यह निष्कर्ष दस्तावेज तथा गवाहों के बयान के आधार पर लेख किया गया है।

8— प्रकरण में अभियोजन साक्षी अमरलाल अ.सा.1, निरंजन अ.सा.2 ने घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं होना तथा जप्तीपत्र प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग में क्रमशः साक्षी अमरलाल अ.सा.1 व निरंजन अ.सा.2 ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुकमनसिंह अ.सा.3 ने कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी नीलकंठ अ.सा.4 ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परंतु उसके समक्ष कोई भी कागज जप्त होने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी शेषराम अ.सा.5 ने कहा है कि बुधराम, सुधराम और शोभितराम गायकी जाति के अर्थात् अहीर जाति के हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सुधराम किस जाति का है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी नाजुकलाल अ.सा.6 ने कहा है कि बुधराम, शोभितराम और सुधराम को जानता है। यह उपरोक्त तीनों व्यक्ति अहीर जाति के हैं।

9— अभियोजन साक्षी शांतिबाई अ.सा.8, मानतीबाई अ.सा.7, कांतिबाई अ.सा.11, ने कहा कि उन्हें प्राथमिक शाला से पैसा मिला था, कितना पैसा मिला था यह बात उन्हें याद नहीं है। उपरोक्त साक्षी मानतीबाई अ.सा.7, शांतिबाई अ.सा.8, चंदनलाल अ.सा.9 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि उन्हें किस बात के लिए पैसा मिला था, यह वह नहीं बता सकते। कांतिबाई अ.सा.11 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसे प्राथमिक शाला में पैसा मिला था, कितना पैसा मिला था, उसे याद नहीं है। जबकि पालेश्वरी अ.सा.12 का कहना है कि उसे प्राथमिक शाला में स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं वह नहीं बता सकती, वह भूल गई है। कांतिबाई अ.सा.15 ने कहा

है वह आरोपीगण को जानती है, आरोपीगण ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। उसने पुलिस को नहीं बताया था कि बुधराम तथा सुधराम, अहीर जाति के हैं।

10— आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अनुसार अभियोजन को सर्वप्रथम यह सिद्ध करना है कि आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम द्वारा शासकीय संपत्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी के आशय से कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गए और उनके आधार पर प्राथमिक शाला बोदा में अध्ययनरत् छात्रों को नियम विरुद्ध स्कॉलरशिप दिलाई गई। संपूर्ण घटनाक्रम पर यदि विचार किया जावे तो आरोपी हगरूसिंह ने जो तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत बोदा का सरपंच था, ने कूटरचित जाति प्रमाणपत्र छात्रों को प्रदान किये। प्रकरण में यह कूटरचित जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-1 अनुसार जप्त किये गए और इस पर आर्टिकल ए-5 लगायत आर्टिकल ए-8 अंकित किये गए हैं। उपरोक्त आर्टिकल जाति प्रमाणपत्र के आधार पर छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई थी और यह कार्य शाला के प्रधान पाठक द्वारा किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि तत्कालीन समय में शाला के प्रधान पाठक बी.आर. कुम्हरे की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की गई है, इसके अतिरिक्त अभियोजन कहानी अनुसार अन्य दो आरोपीगण जो छात्राओं के पालक थे, उन्होंने अवैध लाभ स्कॉलरशिप के माध्यम से प्राप्त किया था। यदि अभियोजन साक्षी शांतिबाई अ.सा.8, मानतीबाई अ.सा.7, कांतिबाई अ.सा.11, चंदनलाल अ.सा.9 जो तत्कालीन समय में प्राथमिक शाला बोदा में अध्ययनरत थी, के कथनों पर विचार किया जावे तो उन्होंने कहा है कि उन्हें शाला में पैसा मिला था, परंतु कितना पैसा मिला था, यह बात उन्हें याद नहीं है। छात्रों के द्वारा स्कॉलरशिप की प्राप्ति की पावती अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। छल कारित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिसे प्रवंचित किया गया है उसे बेईमानी के आशय से उत्प्रेरित किया जावे कि वह संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे। मध्यप्रदेश शासन की शासकीय राशि को परिदत्त किये जाने का आरोप आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम पर है, परंतु इसके संबंध में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। छात्राओं को स्कॉलरशीप की राशि प्राप्त हुई थी, यह बात स्वयं छात्राओं ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्वीकार

की है। छात्राओं को स्कॉलरशिप की संपूर्ण राशि भुगतान की गई थी या नहीं या आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम द्वारा उस राशि को छल पूर्वक प्रवंचना कर स्वयं के लाभ के लिए संपरिवर्तित किया गया था, इस बात को अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। छात्राओं की जाति अहीर थी एवं वे स्कॉलरशिप प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी, यह विभागीय कार्य में की गई त्रुटि अवश्य हो सकती है, परंतु वह राशि बेईमानीपूर्वक छात्राओं को दिलाई गई हो, इस आशय की कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर अथवा अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से प्रकट नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अंतर्गत अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु 2 व 3 का निष्कर्ष:-

11— आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 एवं 471 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी ए.के. खान अ.सा.16 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-08.04.1995 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना कोतवाली बालाघाट के आरक्षक मोहनलाल के द्वारा शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/95, अंतर्गत धारा-420, 467, 464, 471/34 भा.द.वि. के तहत पेश करने पर असल सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 लिखकर संलग्न किया था, जिसका अपराध क्रमांक-49/95 अंतर्गत धारा-420, 467, 464, 474/34 भा.द.वि.के तहत लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध की विवेचना हेतु डायरी प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक-07.06.1995 को आरोपी बसीराम से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के अनुसार एक जन्मतिथि पंजी कन्या प्राथमिक शाला बोदा जो आर्टिकल ए-1 है एवं एक दाखिल खारिज रजिस्टर नवीन कन्या प्राथमिक शाला बोदा आर्टिकल ए-2 है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-2 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल ए-1 पेज क्रमांक-32-33 में कांतिबाई पिता बुधराम, 38-39 में शांतिबाई पिता बुधराम, पेज क्रमांक-52-53 में पालेश्वरीबाई पिता शोभितराम एवं मानतीबाई पिता बुधराम के नाम दर्ज है, जिसके कॉलम नम्बर 4 में अहीर जाति को काटकर गोंड गायकी लिखा गया है, लेख है।

आर्टिकल ए-2 दाखिल खारिज नम्बर 69 में कुमारी कांतिबाई, क्रमांक-82 में शांतिबाई, क्रमांक-109 पालेश्वरी एवं क्रमांक-111 में मानतीबाई का नाम लेख किया गया है एवं उक्त नामों के सामने जाति या धर्म के कॉलम में गोंड गायकी लिखा गया है। दिनांक-11.09.1995 को कांतिबाई से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार यात्रा भत्ता बिल फार्म जो आर्टिकल ए-3 है, जिसमें आरोपी हगरूसिंह के हस्ताक्षर है तथा सील लगी हुई है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-3 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-24.09.1995 को आरोपी बसीराम से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार आर्टिकल ए-4 का आदेश पंजी/निरीक्षण पंजी प्राथमिक कन्या शाला बोदा लेख है, जिस पर आरोपी बसीराम की स्वाभाविक हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर एवं प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला बोदा में आदिम जाति कल्याण विभाग बैहर की सील लगी है, जिसके पेज क्रमांक-5 से 20 में हस्तलिपि लेख है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.10.1995 को बसीराम से जप्ती पत्रक प्रदर्शपी-1 के अनुसार कुमारी कांतिबाई, कुमारी पालेश्वरीबाई, कुमारी मानतीबाई ग्राम पंचायत बोदा के सरपंच हगरूसिंह टेकाम के द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र जो आर्टिकल ए-5 से लगायत ए-6 है, जप्त किया था, प्रदर्श पी-1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-16.10.1995 को साक्षी कांतिबाई, शेषराम, नाजुक एवं दिनांक-13.04.1995 को पालेश्वरी, शांतिबाई, मानतीबाई, कांतिबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-20.04.1995 को आरोपी शोभितराम, बुधराम, हगरूसिंह दिनांक-07.06.1995 को आरोपी बसीराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी बसीराम से नमूना हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर 6 प्रति में साक्षियों के समक्ष लेख करवाया था, जो प्रदर्श पी-9 से लेकर प्रदर्श पी-14 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी हगरूसिंह से हस्तलिपि एवं नमूना हस्ताक्षर साक्षियों के समक्ष 6-6 प्रति में लेख कराया था, जो प्रदर्श पी-15 से लगायत प्रदर्श पी-26 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेजों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हस्तलिपि विशेषज्ञ जहांगीराबाद भोपाल प्रदर्शपी-27 के माध्यम से भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में पेश की गई है, जो प्रदर्श पी-28 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि छात्रों के जाति संबंधि प्रमाणपत्र आरोपी से जप्त किये गए थे, जो तत्कालीन समय में प्राथमिक शाला बोदा के प्रधान



पाठक के पद पर पदस्थ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि छात्रों के प्रमाणपत्र उसने तहसीलदार कार्यालय से जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि स्कूल से जप्त रजिस्टर में छात्रों की जाति अहीर को काटकर गोंड गायकी किया गया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव के विषय में साक्षी ने जानकारी नहीं होना कहा है कि जाति घोषित करने का अधिकार आदिम जाति कल्याण विभाग को होता है। साक्षी ने यह भी कहा है कि अंतिम प्रतिवेदन में छात्रों की जाति के संबंध में उसने निष्कर्ष लेख किया है और यह निष्कर्ष दस्तावेज तथा गवाहों के बयान के आधार पर लेख किया गया है।

12— सर्वप्रथम यह देखना है कि तत्कालीन समय में गांव का सरपंच हगरूसिंह था उसने अहीर जाति की छात्राओं के जाति प्रमाणपत्र तैयार किये थे या नहीं इस संबंध में जप्तीपत्र प्रदर्श पी-1 की कार्यवाही की गई थी और इस जप्तीपत्रक के अनुसार छात्राओं के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उन्हें प्राथमिक शाला बोदा में दाखिल रजिस्टर में गोंड-गायकी दर्शाया गया है। उपरोक्त दस्तावेज प्रकरण में आर्टिकल ए-2 रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार छात्राओं के नाम के आगे जाति के कॉलम में अहीर जाति काटकर गोंड-गायकी लेख की गई है। अभियोजन कहानी अनुसार आरोपी बंशीराम कुम्हरे द्वारा यह लेख किया गया है, इस संबंध में आरोपी की नमूना हस्तलिपि प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-14 जप्त की गई थी और इसे नमूना हस्तलिपि को एस-13 लगायत एस-18 चिन्हित कर विशेषज्ञ से इसकी जांच कराने पर विशेषज्ञ के मत अनुसार एस-13 लगायत एस-18 की लिखावट क्यू-1 लगायत क्यू-4 की हस्तलिपि से मिलान करती है। क्यू-1 लगायत क्यू-4 का प्रमाणपत्र पर आरोपी हगरूसिंह के हस्ताक्षर किये गए हैं, जबकि एस-13 लगायत एस-18 की लिखावट आरोपी बी.आर. कुम्हरे की नमूना लिखावट है। आरोपी बी.आर. कुम्हरे की मृत्यु हो जाने से उसके विषय में इस निर्णय में कोई भी विचार किया जाना अप्रासंगिक है। आरोपी हगरूसिंह द्वारा कूटरचित प्रमाणपत्र आर्टिकल ए-5 लगायत आर्टिकल ए-8 तैयार किया जाना उपरोक्तानुसार प्रकट नहीं हो रहा है। उपरोक्त संबंध में जप्ती की कार्यवाही पर विचार किया जावे तो जप्ती की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है। आर्टिकल रजिस्टर ए-2 की जप्ती प्रदर्श पी-2 अनुसार की गई थी, यह जप्ती आरोपी बी.आर. कुम्हरे से की गई थी। आरोपीगण से नमूना हस्ताक्षर प्रदर्श पी-21

लगायत प्रदर्श पी-26 अनुसार लिये गए थे और उन्हें हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास जांच हेतु एस-7 लगायत एस-12 चिन्हित कर भेजा गया था। हस्तलिपि विशेषज्ञ के अनुसार उपरोक्त नमूना हस्ताक्षर की हस्तलिपि एन-1 आर्टिकल ए-3 से मिलान करती है। आर्टिकल ए-3 प्रदर्श पी-16 अनुसार यात्रा भत्ते का ब्यौरा आरोपी हगरुसिंह द्वारा भरा गया था। अभियोजन कहानी अनुसार आरोपी हगरुसिंह ने कूटरचित प्रमाणपत्र बनाए थे और इस कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर आरोपी रामभरोसे तथा शोभितराम ने कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी पुत्री कुमारी मानती एवं कुमारी पालेश्वरी को स्कॉलरशीप प्राप्त कराई। यहां यह देखा जाना होगा कि क्या आरोपी हगरुसिंह द्वारा यह विश्वास रखते हुए कि उपरोक्त छात्राएं अहीर जाति की हैं एवं उन्हें गोंड-गायकी जाति का प्रमाणपत्र देकर सआशय प्रमाणपत्र की कूट रचना की गई थी या नहीं। यह भी देखना होगा कि इस प्रकार के कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आरोपी हगरुसिंह तथा आरोपी शोभितराम द्वारा अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया गया था या नहीं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति की सूची में गोंड-गायकी का उल्लेख है अथवा नहीं इस संबंध में अभियोजन द्वारा इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त संबंध में कोई धारणा की जा सके। जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई थी, वे अहीर जाति की थी और उन्हें पात्रता अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में होने से छात्रवृत्ति प्राप्त होनी थी। यदि नियम विरुद्ध उपरोक्त छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग से भिन्न अनुसूचित जनजाति वर्ग में दर्शाकर अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था तो सर्वप्रथम इस संबंध में विभागीय जांच से यह बात सिद्ध की जाना चाहिए थी। उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति का भुगतान आरोपी बसीराम कुम्हरे द्वारा किया गया था और उसी के द्वारा उपरोक्त छात्राओं की जाति में कांट-छांट की जाकर कूटरचित इंद्राज शाला के अभिलेख में किया जाना अभियोजन कहानी अनुसार अभियोजित है।

13— आरोपी हगरुसिंह द्वारा प्रदान किये गए कूटरचित प्रमाणपत्र से छात्राओं द्वारा गोंड गायकी जाति के नहीं होने पर भी छात्रवृत्ति पाई गई थी। एस-1 लगायत एस-12, क्यू-1 लगायत क्यू-4 से मेल होना पाया था। विशेषज्ञ के अभिमतानुसार आर्टिकल ए-2 के रजिस्टर में छात्राओं के नाम के आगे गोंड गायकी जोड़कर उन्हें जनजाति का बताया गया था। आर्टिकल रजिस्टर ए-2 तथा आर्टिकल रजिस्टर ए-1 के लेखन के विषय में क्यू-5 अनुसार अभिमत प्रदर्श पी-26 की विशेषज्ञ रिपोर्ट में

दिए गए अभिमत का अवलोकन किया जावे तो इस अभिमत में कहा गया है कि गोंड-गायकी शब्द बाद में जोड़ा गया था और अहीर शब्द किसी नीली स्याही से लेख किया गया था और गायकी गोंड लाल स्याही से लिखा गया था, विशेषज्ञ ने अपने अभिमत में यह कहा है कि क्यू-5 से क्यू-12 की लिखावट के विषय में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार यह इन्द्राज किसके द्वारा किया गया था, यह बात प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो रही है।

14— अभियोजन साक्षी मानतीबाई अ.सा.7, शांतिबाई अ.सा.8, कांतिबाई अ.सा.11 ने कहा है कि उसे स्कूल से पैसा मिला था, कितना पैसा मिला था, वह उसे याद नहीं है, क्योंकि घटना पुरानी है। इस प्रकार उपरोक्त छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, यह बात प्रकट हो रही है। अभियोजन साक्षी पालेश्वरीबाई अ.सा.12 ने कहा है कि उसे स्कॉलरशीप मिली थी या नहीं यह बात वह भूल गई है। प्रथमदृष्टया उपरोक्त छात्राओं को नियम विरुद्ध अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में मानकर यदि नियम से अधिक छात्रवृत्ति दी भी गई हो, तो उनसे अंतर की राशि वसूली जा सकती थी। छात्रवृत्ति देयक त्रुटिपूर्ण रूप से बनाया जाना अपने आप में विभागीय कार्य में लोप अथवा असावधानी होना माना जा सकता है, परंतु विशेष प्रयोजन से कूट रचना कर अवैध लाभ प्राप्त किया जाना प्रकट नहीं होता। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी दस्तावेजों की जप्ती के विषय में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कहानी से विपरीत कथन किये हैं। साक्षी चंदनलाल अ.सा.9 ने कहा है कि प्रदर्श पी-1 की जप्ती थाना बैहर में हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से दर्शित है कि जप्ती ग्राम बोदा स्थित आरोपी बसीराम के घर से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 अनुसार संपत्ति जप्त की गई थी। साक्षी निरंजन अ.सा.2 ने कहा कि प्रदर्श पी-2 जप्तीपत्रक पर उसके हस्ताक्षर कब लिये गए थे, उसे जानकारी नहीं है। जप्ती की कार्यवाही का समर्थन सुखमनसिंह अ.सा.3, शेषराम अ.सा.4 ने भी नहीं किया है। जप्ती के साक्षी चंदनलाल अ.सा.9, बुद्धनलाल अ.सा.10 ने नहीं किया है। अभियोजन साक्षी कांतिबाई ने अभियोजन कहानी के विपरीत यह कहा है कि उसके सामने यात्रा बिल प्रदर्श पी-3 की जप्ती नहीं हुई थी। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था और न ही यह बताया था कि आरोपी बुधराम व शोभितराम अहीर जाति के हैं।

15— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 के अनुसार “मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूटरचना—जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई

मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभ को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगत संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूट रचना करेगा, वह (आजीवन कारावास) से, या दोनों में से किसी भौति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।” माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने अपने न्यायादृष्टांत ओ.पी. दीक्षित व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2012(2) एम.पी.एल.जे.(कि.)627 में यह अवधारित किया है कि “ दंड संहिता, धाराएं 409, 467, 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा-13(2)-जाली दस्तावेज बनाकर सरकारी फंड का दुर्विनियोग करने के कारण सरकारी कर्मचारी अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया-अपील-अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं कि अपीलार्थी को सरकारी फंड निकालने अथवा वितरित करने की शक्ति प्रदत्त की गई थी-अभियोजन यह साबित नहीं कर सकता कि कैश बुक इत्यादि में की गई प्रविष्टियां अपीलार्थी द्वारा की गई थी-अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश कायम नहीं रखा जा सकता।

16- आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया गया था, यह बात किसी भी साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की गई है। जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, उन्हें आरोपीगण से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त था अथवा उनकी सहभागिता थी, यह बात भी अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है। आरोपीगण हगरूसिंह व शोभितराम को शासकीय राशि निकालने अथवा उसके वितरण की शक्ति थी और उन्होंने कूटरचित्त दस्तावेज की रचना की जाकर शासकीय राशि को अपने लाभ में संपरिवित्त किया था, यह बात अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है। उनके द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना की जाकर उन दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया गया, यह बात किसी भी अभियोजन साक्षी ने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं हो रही है। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 एवं 471 का अपराध किये जाने के तथ्य



संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतः आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 एवं 471 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपी हगरूसिंह एवं शोभितराम दिनांक-20.04.1995 से दिनांक-03.05.1995 तक के न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

18— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति चार जाति प्रमाणपत्र, शाला की जन्मतिथि पंजी एवं दखिल-खारिज रजिस्टर, एक यात्रा भत्ता बिल फार्म, एक आदेश पंजी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित  
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट